राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–829/2025

मोहम्मद नोमान

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिगं ऑफिसर के पद पर पीएमओ, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सीएचसी कैलनसर फलौदी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का नाम मोहम्मद नोमान है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम मोहम्मद नोसान अंकित करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी का स्थानांतरण 500 किमी. दूर किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान आलोच्य आदेश में सही अंकित किया गया है। केवलमात्र अपीलार्थी का नाम मोहम्मद नोमान की जगह मोहम्मद नोसान अंकित किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में केवलमात्र लिपिकीय त्रुटि के कारण स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)